

नोट : नियोजन हेतु अन्य शर्तें :-

1. संविदा के आधार पर नियोजित अन्यर्थियों को एकमुश्त पारिश्रमिक/मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता/राशि देय नहीं होगा।
2. नियोजित व्यक्ति का नियोजन बिल्कुल अस्थायी होगा। उक्त नियोजित कर्मियों का सरकार/विभाग की नियमित सेवा में इस नियोजन के आधार पर नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा एवं सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा इन्हें सरकारी सेवक को अनुमान्य कोई सुविधा देय नहीं होगी। इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी। इस आधार पर नियोजित व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
3. इस नियोजन में बिहार सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी अनुदेश का अनुपालन किया जायेगा। जिसमें प्रमण्डलीय लेखापाल एवं लेखा सहायक के पदों पर निम्नांकित वर्ग के आवेदन निगम में संविदा पर लिये जायेंगे:-
 - (i) अनुसूचित जाति (प्रमण्डलीय लेखापाल) — एक पद
 - (ii) अनुसूचित जाति (लेखा सहायक) — दो पद
4. उपर्युक्त सभी पदों के लिए उम्र की गणना के लिए दिनांक-01.08.2013 को कट ऑफ डेट माना जायेगा।
5. नियोजित कर्मियों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश आदि से संबंधित सुविधाएँ प्रदान की जायगी।
6. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को उनके गृह स्थान के अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से आवासीय एवं जाति प्रमाण-पत्र निर्गत कराकर आवेदन पत्र के साथ स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
7. उम्र के सत्यापन के लिए मैट्रिक के मूल प्रमाण-पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति मान्य होगी।
8. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय से निर्गत मूल प्रमाण-पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति मान्य होगी।
9. आवेदन पत्र के साथ दो अतिरिक्त अभिप्रमाणित फोटो संलग्न किया जाये।
10. आवेदकों को असैनिक शल्य चिकित्सक के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र योगदान देने के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. ऐसे व्यक्ति, जिनपर किसी न्यायालय में अपराधिक मामले की सुनवाई चल रही हो या चार्जशीट हो, इस नियोजन में आवेदन देने के योग्य नहीं होंगे। इसके लिए स्वच्छ चरित्र प्रमाण-पत्र का एक शपथ-पत्र योगदान देने के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके पूर्व के अन्तिम कार्यालय से निर्गत अनुभव एवं चरित्र प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रधान स्तर से निर्गत कराकर आवेदन के साथ स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. विज्ञापित पदों पर नियोजन का निर्णय साक्षात्कार के आधार पर विभाग द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जायगा। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आवेदकों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. आवेदन-पत्रों की समीक्षा कर लिखित, साक्षात्कार तथा प्रायोगिक परीक्षा की सूचना चयनीयत आवेदकों को संबंधित परीक्षा से पूर्व दे दी जायेगी। यह सूचना समीक्षोपरान्त उनके द्वारा दिये गये Mobile पर SMS द्वारा तथा दिये गये e-mail address पर दी जायेगी।

15. आवेदको के अन्तिम रूप से चयन के उपरांत उनके द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद नियोजन प्रभावी होगा।
16. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 11 माह के लिए किया जा रहा है, लेकिन विशेष परिस्थिति में नियोजित व्यक्ति के कार्य कलाप से संतुष्ट होने पर कार्य मूल्यांकन के उपरांत संतोषप्रद सेवा की स्थिति में उनके अनुबंध अवधि में वृद्धि का विचार कर सकेगी।
17. नियोजनकर्ता के पास किसी आवेदन को रद्द करने, नियोजन को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. यदि आवेदक के द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों यथा :- जन्म/आवासीय/जाति/शैक्षणिक योग्यता/अनुभव प्रमाण-पत्र/चरित्र संबंधी शपथ-पत्र आवेदन-पत्र की जाँच करायी जाएगी। इनमें से किसी के गलत पाये जाने पर आवेदक की नियुक्ति तत्कालिक प्रभाव से बिना किसी मुआवजा दिये समाप्त कर दी जाएगी। यदि कालांतर में प्रमाण-पत्र गलत या फर्जी पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति का नियोजन रद्द कर उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जायगा।
19. इस नियोजन से संबंधित विवाद के अपील के निपटारे के लिए अपर महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पदाधिकारी होंगे एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।
20. यह नियोजन केवल लेखा सहायक/प्रमण्डलीय लेखापाल के लिए किया जा रहा है।
21. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय होगी। संविदा पर नियोजन के उपरान्त आवेदक को किसी भी स्थान पर पदस्थापन का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
22. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (कंट्रैक्ट पीरियड) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना/नोटिस देकर या एक माह की संविदा राशि एक मुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी।
23. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मों का 6 (छः) दिनों का साप्ताहिक कार्यकाल होगा। उन्हें सरकारी सेवकों के अनुमान्य आकस्मिक अवकास मात्र अनुमान्य होगा। 11 (ग्यारह) माह की अवधि के संविदा आधारित नियोजन के संदर्भ में सरकारी सेवकों को अनुमान्य वार्षिक आकस्मिक अवकाशों की कुल संख्या के अनुपात में मात्र 15 (पन्द्रह) दिनों की आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। वशर्ते वे रविवारीय और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य सभी कार्य दिवसों में निगम के हित एवं लोकहित में कार्य किये हों।
24. नियोजित व्यक्ति अनुबंध की अवधि में अपर महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/मुख्य अभियंता/मुख्य तकनीकी परामर्शी/अधीक्षण अभियंता/मुख्य लेखा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता/लेखापाल/सचिव/प्रशासनिक पदाधिकारी/वरीय वास्तुविद आदि के द्वारा जो भी कार्य आवंटित किया जायेगा, उसे पूरे मनोयोग से निष्पादित करेंगे। नियोजित व्यक्ति को सौंपे गये कार्य पूर्णतः दक्षता, तत्परता एवं निष्ठा के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरी करनी होगी।

.....